NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-11-2025

विषय सूची

» IBSA संवाद मंच और समतापूर्ण वैश्विक शासन
» दक्षिण अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन संपन्न
» राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन (PSCs)
» असम समझौता (1985)
» विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025

संक्षिप्त समाचार

» जॉर्जिया
» अनुच्छेद 240
» भारतीय भोजन में ऑरामाइन
» गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)
» मॉस/काई (फिस्कोमिट्रियम पैटेंस) की असाधारण तन्यकता
» भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (भारत NCAP)
» भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
» अफ्रीकी ग्रे तोता

IBSA संवाद मंच और समतापूर्ण वैश्विक शासन

संदर्भ

- भारत के प्रधानमंत्री ने भारत-ब्राज़ील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) नेताओं के शिखर सम्मेलन में बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार अब विकल्प का विषय नहीं बल्कि एक वैश्विक अनिवार्यता है। यह अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित पहले G20 शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाता है।

IBSA संवाद मंच

- यह 2003 में ब्रासीलिया घोषणा के माध्यम से स्थापित किया गया था, दक्षिण-दक्षिण सहयोग और ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज़ के लिए एक मंच के रूप में।
- इसमें भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA ट्रोइका) शामिल हैं, और उन्होंने बहुपक्षवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- यह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है। मुख्य पहलों में IBSA ट्रस्ट फंड (2006 में परिचालित) शामिल है जो दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है और IBSAMAR बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास।

IBSA शिखर सम्मेलन (2025) की प्रमुख विशेषताएँ

- **सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना:** भारत ने त्रिपक्षीय सुरक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए IBSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)-स्तरीय बैठक के संस्थानीकरण का प्रस्ताव रखा।
  - इसने आतंकवाद पर सदस्य देशों के बीच करीबी समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
- **प्रौद्योगिकी और मानव-केंद्रित विकास:** भारत ने IBSA डिजिटल इनोवेशन एलायंस का प्रस्ताव रखा, जो प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को मान्यता देता है।
  - इसका उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI), स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म जैसे CoWIN, साइबर सुरक्षा ढाँचे और महिला-नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी पहलों को साझा करना है।
- **जलवायु-लचीली कृषि के लिए IBSA फंड:** भारत ने जलवायु-लचीली कृषि के लिए एक फंड बनाने का प्रस्ताव रखा, IBSA फंड की सफलता को स्वीकार करते हुए, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और सौर ऊर्जा सहित विभिन्न देशों में 40 से अधिक विकास परियोजनाओं का समर्थन किया है।
  - इसका उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना और सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
  - इसने बाजरा और नेचुरल खेती, आपदा से लड़ने की क्षमता, ग्रीन एनर्जी, पारंपरिक दवा और हेल्थ सिक्योरिटी में सहयोग को बढ़ावा दिया।
- **AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में आमंत्रण:** भारत ने IBSA नेताओं को आगामी वर्ष भारत में आयोजित होने वाले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, यह रेखांकित करते हुए कि यह समूह सुरक्षित, विश्वसनीय और मानव-केंद्रित AI मानदंडों को आकार देने की क्षमता रखता है, जिससे जिम्मेदार नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
- **UNSC सुधार:** भारत ने UNSC सुधारों के लिए जोरदार पैरवी की, जैसा कि कई विकासशील देशों ने महसूस किया है।
  - यह भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के वैश्विक मामलों में बढ़ते प्रभाव का प्रतिनिधित्व करने में विफल रहता है।

UNSC

- यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख अंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार है।
- यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था और इसमें 15 सदस्य राज्य शामिल हैं, जिनमें पाँच स्थायी सदस्य (P5) वीटो शक्ति के साथ और दस अस्थायी सदस्य शामिल हैं जिन्हें महासभा द्वारा दो-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है।
- इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है।

UNSC सुधार क्यों आवश्यक है?

- UNSC की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसमें पाँच स्थायी सदस्य (P5)—संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन—को वीटो शक्ति दी गई।
- यह एक भू-राजनीतिक वास्तविकता को दर्शाता है जो अब 21वीं सदी के विश्व व्यवस्था से सामंजस्यशील नहीं है, और प्रायः इसकी आलोचना की जाती है कि यह समावेशिता, पारदर्शिता और वैश्विक संकटों के प्रति उत्तरदायित्व की कमी रखता है।
- भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) लगातार UNSC सुधार का समर्थन करते रहे हैं।
  - **भारत:** यह लंबे समय से UNSC में स्थायी सीट की मांग करता रहा है, अपनी विशाल जनसंख्या, बढ़ती अर्थव्यवस्था और शांति स्थापना में सक्रिय भूमिका के साथ।
    - यह परिषद को ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता पर बल देता है।
  - **ब्राज़ील:** लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति के रूप में, इसने परिषद की स्थायी सदस्यता का विस्तार कर अधिक विकासशील देशों को शामिल करने की मांग की है, एक अधिक लोकतांत्रिक एवं प्रतिनिधिक UNSC का समर्थन करते हुए।
  - **दक्षिण अफ्रीका:** यह महाद्वीप की स्थायी सदस्यता से ऐतिहासिक बहिष्करण को रेखांकित करता है और अफ्रीका के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए समान प्रतिनिधित्व की मांग करता है।

भारत की UNSC आकांक्षाओं के प्रमुख अवरोध

- **P5 सदस्यों का प्रतिरोध:** विशेष रूप से वे जो अपने प्रभाव को कम होने से चिंतित हैं, विशेषतः चीन, जिसने प्रगति को रोक दिया है।
- **UN सदस्यों के बीच सहमति की कमी:** जबकि कई देश भारत की दावेदारी का समर्थन करते हैं, एक पुनर्गठित UNSC की संरचना पर व्यापक सहमति नहीं है। असहमति बनी हुई है:
  - नए स्थायी सदस्यों की संख्या;
  - क्या नए सदस्यों को वीटो शक्ति मिलनी चाहिए;
  - क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से।
- **भू-राजनीतिक बदलाव और प्रतिस्पर्धी दावे:** भारत की दावेदारी प्रायः अन्य आकांक्षी देशों जैसे ब्राज़ील, जर्मनी और जापान (G4 राष्ट्रों) के साथ उलझ जाती है।
  - "कॉफ़ी क्लब" (यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप), जिसमें पाकिस्तान, इटली, दक्षिण कोरिया और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं, स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध करते हैं तथा इसके बजाय अस्थायी सीटों को बढ़ाने का समर्थन करते हैं।

आगे की राह

- IBSA देशों ने अपने राजनयिक प्रयासों को तेज़ करने का संकल्प लिया है, G20, BRICS और संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) जैसे मंचों का उपयोग करते हुए सुधार के लिए गति बनाने के लिए। उनकी रणनीति में शामिल है:
  - अन्य विकासशील देशों के साथ गठबंधन बनाना ताकि एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत किया जा सके।
  - P5 सदस्यों के साथ सतत संवाद में शामिल होना ताकि साझा आधार खोजा जा सके।
  - निष्क्रियता के जोखिमों को उजागर करना, जिसमें UNSC की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का क्षरण शामिल है।

Source: TH

दक्षिण अफ्रीका G20 शिखर सम्मेलन संपन्न

समाचार में

- 2025 का G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ, यह अफ्रीकी धरती पर आयोजित प्रथम G20 शिखर सम्मेलन है। इसका विषय था — "एकजुटता, समानता, स्थिरता।"

शिखर सम्मेलन की प्रमुख विशेषताएँ

- G20 नेताओं की घोषणा को अपनाना, जिसमें जलवायु कार्रवाई (विशेषकर अनुकूलन वित्त और नवीकरणीय

ऊर्जा), ऋण स्थिरता और कमजोर विकासशील देशों के समर्थन की प्रतिबद्धताओं की पुनः पुष्टि की गई।

- संस्थागत सुधारों पर बल, जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार और साझा मानवता (Ubuntu) पर आधारित सुदृढ़ बहुपक्षीय सहयोग शामिल है।
- महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान तथा आतंकवाद की निंदा।
- अफ्रीका की विकास प्राथमिकताओं की मान्यता, जिसे अफ्रीकी संघ की G20 में स्थायी सदस्यता से बल मिला।

भारत का दृष्टिकोण/पहलें

- सामूहिक मानव ज्ञान का उपयोग करने हेतु वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार का प्रस्ताव।
- G20-अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर की शुरुआत, जिसका लक्ष्य अफ्रीकी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए दस लाख प्रमाणित प्रशिक्षकों का निर्माण।
- तीव्र स्वास्थ्य संकट हस्तक्षेप हेतु वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल प्रतिक्रिया टीम की वकालत।
- कृषि, मत्स्य और आपदा प्रबंधन डेटा साझा करने के लिए ओपन सैटेलाइट डेटा साझेदारी की शुरुआत।
- पुनर्चक्रण और सतत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने हेतु क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलैरिटी पहल का प्रस्ताव।
- आतंकवाद को वित्तपोषित करने वाले मादक पदार्थों से निपटने हेतु ड्रग-टेरर नेक्सस के विरुद्ध वैश्विक पहल का प्रस्ताव।
- ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ ACITI त्रिपक्षीय ढाँचे की शुरुआत, जिसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, AI, आपूर्ति श्रृंखलाओं एवं स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग शामिल है।

चुनौतियाँ

- भू-राजनीतिक तनावों को दर्शाते हुए अमेरिका के बहिष्कार ने प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की एकता को कमजोर किया।
- जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति की महत्वाकांक्षी भाषा पर असहमति, जो COP30 की विफलताओं को दर्शाती है।
- यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार विभाजन ने ट्रांसअटलांटिक सहमति को तोड़ा।
- विकासशील देशों ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में असमानताओं पर बल दिया, जिसमें ऋण भार और सीमित जलवायु वित्त उपलब्धता शामिल है।
- राजनयिक प्रोटोकॉल विवाद, जैसे दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के बीच G20 अध्यक्षता हस्तांतरण पर, भू-राजनीतिक संवेदनशीलताओं को उजागर करते हैं।

आगे की राह

- महान शक्तियों की राजनीति से G20 को बचाने और वैश्विक संकट प्रतिक्रिया को बढ़ाने हेतु बहुपक्षीय सहमति-निर्माण को सुदृढ़ करना।
- जलवायु वित्त, ऋण राहत और अनुकूलन वित्त, हानि एवं क्षति, तथा रियायती ऋण पर प्रतिबद्धताओं को लागू करने को प्राथमिकता देना, जो ग्लोबल साउथ को लक्षित हों।
- IMF, विश्व बैंक और विकास बैंकों के पुनर्गठन के माध्यम से वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार करना ताकि न्यायसंगत वित्तपोषण, समावेशी प्रतिनिधित्व एवं पारदर्शी ऋण तंत्र सुनिश्चित हो सके।

निष्कर्ष

- 2025 का जोहान्सबर्ग G20 शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है, जिसने अफ्रीका एवं ग्लोबल साउथ को वैश्विक आर्थिक एजेंडे के केंद्र में रखा, तथा भू-राजनीतिक विभाजनों के बावजूद एकजुटता और सतत विकास के नए मॉडल प्रस्तुत किए।
- भारत की बहुआयामी पहलें इसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक शासन के बीच एक सेतु के रूप में स्थापित करती हैं, जो समावेशी विकास, जलवायु लचीलापन एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देती हैं।

G20 समूह के बारे में

- G20, या ग्रुप ऑफ ट्वेंटी, एक अंतर-सरकारी मंच है जिसमें 19 व्यक्तिगत देश (अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका), यूरोपीय संघ और 2023 से अफ्रीकी संघ शामिल हैं — कुल 21 सदस्य।

- ये सदस्य विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वैश्विक GDP का लगभग 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और वैश्विक जनसंख्या का दो-तिहाई हिस्सा हैं।
- G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार हेतु की गई थी।
- वार्षिक G20 शिखर सम्मेलन घूर्णन अध्यक्षता के अंतर्गत आयोजित होता है, जिसे निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए विगत, वर्तमान एवं आगामी अध्यक्षताओं की ट्रोइका द्वारा समर्थन दिया जाता है।

Source: TH

राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन (PSCs)

समाचार में

- 2025 का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें राज्य लोक सेवा आयोगों (PSCs) के अध्यक्ष शामिल होंगे, 19 और 20 दिसंबर को तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

ऐतिहासिक संबंध

- भारत में लोक सेवा आयोग (PSCs) स्वतंत्रता संग्राम से उभरे, जो योग्यता-आधारित सिविल सेवाओं और स्वशासन की मांग में निहित थे।
- मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट (1918) ने एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यालय का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणामस्वरूप 1926 में प्रथम संघ लोक सेवा आयोग (Union PSC) बनाया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने इसे प्रांतों तक विस्तारित किया, और संविधान ने इन प्रावधानों को जारी रखा।
- आजवर्तमान में भारत में संघ स्तर पर UPSC और राज्य स्तर पर PSCs हैं, जिनका मुख्य कार्य भर्ती करना है।

संरचना: संघ और राज्य स्तर पर

- UPSC एक राजनीतिक रूप से तटस्थ वातावरण में कार्य करता है, जहाँ सदस्यों की नियुक्ति योग्यता, अनुभव और व्यापक क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर की जाती है, जो सामान्यतः वरिष्ठ और अपोलिटिकल होते हैं।
- यह संघ सरकार की विशाल जनशक्ति आवश्यकताओं, वित्तीय संसाधनों और एक समर्पित कार्मिक मंत्रालय (स्थापित 1985) से लाभान्वित होता है, जिससे नियमित भर्ती चक्र एवं समय पर परीक्षाएँ सुनिश्चित होती हैं।
- राज्य PSCs राजनीतिक रूप से प्रभावित वातावरण में कार्य करते हैं, जहाँ प्रायः पारंपरिक पात्रता मानदंडों को दरकिनार किया जाता है।
- सीमित और असंगठित जनशक्ति आवश्यकताओं, वित्तीय बाधाओं और समर्पित कार्मिक मंत्रालय की अनुपस्थिति के कारण, राज्य प्रायः भर्ती में देरी करते हैं, सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाते हैं और परीक्षाएँ अनियमित रूप से आयोजित करते हैं।

वे कैसे कार्य करते हैं और संबंधित मुद्दे

- UPSC विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है विशेषज्ञ समितियों के माध्यम से पाठ्यक्रम का समय-समय पर अद्यतन करके, प्रश्नपत्र निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा का उपयोग करके, मजबूत अंक-संशोधन और पारदर्शिता व गोपनीयता के बीच संतुलन बनाते हुए त्वरित प्रणालीगत सुधारों के माध्यम से, जिससे मुकदमेबाजी कम होती है।
- इसके विपरीत, राज्य PSCs शायद ही कभी पाठ्यक्रम संशोधित करते हैं, सीमित स्थानीय संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, अंक-संशोधन में संघर्ष करते हैं और जटिल आरक्षण गणनाओं का सामना करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बार-बार कानूनी विवाद, देरी और विश्वास में गिरावट होती है।
- कई अभ्यर्थी UPSC द्वारा परीक्षाएँ आयोजित करने की प्राथमिकता व्यक्त करते हैं, जो राज्य PSCs में समयबद्ध संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

राज्य PSCs को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित प्रमुख सुधार

- राज्य PSC भर्ती परीक्षाएँ प्रायः विवादों और कानूनी चुनौतियों से प्रभावित होती हैं, जिससे देरी होती है तथा विश्वास कमज़ोर होता है।

- मुख्य सुधारों में शामिल होना चाहिए:
  - एक समर्पित कार्मिक मंत्रालय के माध्यम से व्यवस्थित जनशक्ति योजना, पाँच-वर्षीय भर्ती रोडमैप के साथ।
  - संवैधानिक संशोधन, जिसमें सदस्य आयु सीमा 55–65 वर्ष तय हो और योग्यताओं का उल्लेख हो (आधिकारिक सदस्यों के लिए वरिष्ठ सिविल सेवा अनुभव, गैर-आधिकारिक सदस्यों के लिए मान्यता प्राप्त व्यवसायों में 10 वर्ष का अनुभव), विपक्ष से परामर्श के साथ ताकि अखंडता सुनिश्चित हो।
  - UPSC के अनुरूप समय-समय पर पाठ्यक्रम संशोधन, जिसमें सार्वजनिक परामर्श, राज्य-विशिष्ट विषयों के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण, मिश्रित परीक्षा प्रारूप, सटीक अनुवाद और AI के दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय शामिल हों।
  - प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु एक वरिष्ठ अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त करना।
  - पारदर्शिता और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाकर, ये उपाय राज्य PSCs को जीवंत और विश्वसनीय बनाएंगे, UPSC के बराबर।

Source : TH

असम समझौता (1985)

संदर्भ

- हाल ही में असम सरकार ने घोषणा की है कि असम समझौता, 1985 की धारा 6 के अंतर्गत की गई अधिकांश सिफारिशों पर व्यापक सहमति बन गई है।

असम समझौते (1985) के बारे में

- यह 15 अगस्त 1985 को भारत सरकार, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और ऑल असम गण संग्राम परिषद (AAGSP) के बीच हस्ताक्षरित हुआ था।
- इसने असम में छह वर्ष (1979–1985) तक चले विदेशी-विरोधी आंदोलन का अंत किया, जो बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन और उसके राज्य की जनसांख्यिकी, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर चिंताओं से प्रेरित था।

समझौते के प्रमुख प्रावधान

- **नागरिकता के लिए कट-ऑफ तिथि:** सभी विदेशी जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें नागरिकता दी जानी थी।
  - जो लोग 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच आए थे, उन्हें चिन्हित किया जाना था और विदेशी के रूप में पंजीकरण के बाद 10 वर्षों तक रहने की अनुमति दी जानी थी।
  - जो लोग 24 मार्च 1971 के बाद आए थे, उन्हें चिन्हित कर निर्वासित किया जाना था।
- **असम समझौते की धारा 6:** इसमें असमिया लोगों की 'सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान' की रक्षा हेतु 'संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक सुरक्षा' का वादा किया गया था।
- **सीमा सुरक्षा:** समझौते में आगे अवैध प्रवासन रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा को सील और बाड़ लगाने का आह्वान किया गया।
- **पता लगाने और निर्वासन की व्यवस्था:** अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना था, जिसमें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का अद्यतन भी शामिल था।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- धारा 6 के अंतर्गत 'असमिया लोगों' की परिभाषा अब तक अनसुलझी है, जिससे सुरक्षा उपायों का प्रावधान जटिल हो जाता है।
- 2019 में पूरा हुआ NRC अद्यतन 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर गया, जिससे कानूनी और मानवीय चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 ने स्थिति को जटिल बना दिया है क्योंकि यह पड़ोसी देशों से आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, जिसे असम में कई लोग समझौते का उल्लंघन मानते हैं।

Source: TH

विदृत (संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ

- हाल ही में विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 भारत में विद्युत क्षेत्र में सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया है।

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- **संरचनात्मक सुधार:** विधेयक का उद्देश्य विद्युत वितरण में विनियमित प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाना है, जिससे एक ही क्षेत्र में कई लाइसेंसधारी साझा और अनुकूलित अवसंरचना का उपयोग कर सकें।
  - यह सभी लाइसेंसधारियों के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व (USO) को अनिवार्य करता है, जिससे सभी उपभोक्ताओं को गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच और आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
  - साथ ही, राज्य सरकारों से परामर्श कर SERCs बड़े उपभोक्ताओं (1 मेगावाट से अधिक) के लिए वितरण लाइसेंसधारियों को USO से मुक्त कर सकते हैं।
- **टैरिफ और क्रॉस-सब्सिडी का युक्तिकरण:** विधेयक लागत-प्रतिबिंबित टैरिफ को बढ़ावा देता है, जबकि किसानों और गरीब परिवारों जैसे सब्सिडी प्राप्त उपभोक्ताओं की रक्षा पारदर्शी बजटेड सब्सिडी के माध्यम से करता है।
  - यह पाँच वर्षों के अंदर विनिर्माण उद्योग, रेलवे और मेट्रो रेल के लिए क्रॉस-सब्सिडी समाप्त करने का लक्ष्य रखता है।
- **अवसंरचना और नेटवर्क दक्षता:** विधेयक उपयुक्त आयोगों को व्हीलिंग चार्ज विनियमित करने और वितरण नेटवर्क की पुनरावृत्ति रोकने का अधिकार देता है।
  - इसमें ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ESS) के प्रावधान शामिल हैं और विद्युत पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका को परिभाषित किया गया है।
- **शासन और नियामक सुदृढ़ीकरण:** विधेयक केंद्र-राज्य नीति समन्वय और सहमति निर्माण हेतु विद्युत परिषद स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।
  - यह राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERCs) को मानकों को लागू करने, अनुपालन न करने पर दंड देने और आवेदन में देरी होने पर स्वतः टैरिफ निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- **सततता और बाज़ार विकास:** विधेयक गैर-जीवाश्म ऊर्जा खरीद दायित्वों को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है, अनुपालन न करने पर दंड के साथ।
  - यह नए उपकरणों और ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म सहित विद्युत बाज़ार विकास को बढ़ावा देता है।
- **कानूनी और परिचालन स्पष्टता:** विधेयक इलेक्ट्रिक लाइन प्राधिकरण के लिए विस्तृत प्रावधान प्रस्तुत करता है, जिसमें मुआवज़ा, विवाद समाधान और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय शामिल है।
  - इलेक्ट्रिक लाइन प्राधिकरण की शक्ति भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के समान होगी।

भारत में विदृत क्षेत्र – अवलोकन

- विद्युत भारतीय अर्थव्यवस्था के आठ प्रमुख उद्योगों में से एक है, जिसका भारांक 19.85% है, जो रिफाइनरी क्षेत्र के बाद आता है।
- **संवैधानिक स्थिति:** विद्युत समवर्ती सूची में है, जिससे केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है।
- **वैश्विक स्थिति:**
  - भारत विद्युत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है।
  - स्थापित क्षमता (जून 2025): 476 GW
- **बढ़ती खपत:**
  - FY25 खपत: 1,694 अरब यूनिट, FY21 से 33% अधिक।
  - FY26 में अनुमानित पीक मांग: 277 GW
  - आगामी पाँच वर्षों में 6–6.5% वार्षिक ऊर्जा मांग वृद्धि अपेक्षित।

भारत में विदृत क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **उच्च AT&C हानि:** वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) में खराब बिलिंग दक्षता और उच्च एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल (AT&C) हानियों के कारण लगातार वित्तीय हानि।

- **विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा की कमी:** उपभोक्ता एक ही डिस्कॉम से बंधे रहते हैं, जिससे सेवा गुणवत्ता और नवाचार सीमित होता है।
- **क्रॉस-सब्सिडी विकृतियाँ:** औद्योगिक उपभोक्ता अन्य श्रेणियों को सब्सिडी देने के लिए बढ़े हुए टैरिफ का भुगतान करते हैं, जिससे भारतीय विनिर्माण कम प्रतिस्पर्धी होता है।

किए गए संबंधित कदम

- **पुनर्निर्मित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS):** 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। स्मार्ट मीटर वितरण उपयोगिताओं को बिलिंग दक्षता सुधारने में सहायता करते हैं।
- **अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS):** साझा अवसंरचना पर निर्मित। सार्वजनिक और निजी ट्रांसमिशन सेवा प्रदाता (TSPs), जिनमें पावरग्रिड (एक CPSU) शामिल है, CERC के पर्यवेक्षण में ISTS परिसंपत्तियों के विकास में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा:**
  - राष्ट्रीय सौर मिशन: बड़े पैमाने पर सौर क्षमता के लक्ष्य।
  - पवन, लघु-हाइड्रो, बायोमास और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रों में वृद्धि।
  - वितरण कंपनियों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPOs)।
  - सौर पार्क, रूफटॉप सौर योजनाएँ और भंडारण समाधानों के लिए प्रोत्साहन।
- **ट्रांसमिशन अवसंरचना में सुधार:**
  - नवीकरणीय विद्युत को कुशलतापूर्वक प्रसारित करने हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर।
  - अंतर-राज्यीय और राज्य-स्तरीय ट्रांसमिशन नेटवर्क को सुदृढ़ करना।
  - राष्ट्रीय ग्रिड एकीकरण के साथ अधिक ग्रिड विश्वसनीयता।
- **सार्वभौमिक विद्युतीकरण पहलें:**
  - DDUGJY: ग्रामीण विद्युतीकरण और फीडर पृथक्करण।
  - सौभाग्य योजना: सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त किया।
  - बिलिंग अक्षमताओं को कम करने हेतु स्मार्ट प्रीपेड मीटर।
- **स्वच्छ और कुशल ऊर्जा को बढ़ावा:**
  - पुराने अक्षम कोयला संयंत्रों से सुपरक्रिटिकल तकनीकों की ओर बदलाव।
  - ऊर्जा का अधिक कुशल उपयोग करने पर विशेष ध्यान:
    - मानक और लेबलिंग कार्यक्रम
    - परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) योजना
    - UJALA योजना के अंतर्गत LED वितरण।
- **नवाचार और भविष्य की प्रौद्योगिकियाँ:**
  - स्मार्ट ग्रिड, बैटरी भंडारण और EV चार्जिंग अवसंरचना।
  - भविष्य की विद्युत मांग को डीकार्बोनाइज़ करने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा।
- **निवेश आकर्षित करना:**
  - विद्युत क्षेत्र में FDI, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है।
  - ट्रांसमिशन और उत्पादन में पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP)।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

जॉर्जिया

समाचार में

- भारत ने जॉर्जिया के साथ वस्त्र और रेशम पालन (Sericulture) सहयोग को सुदृढ़ किया है, जिसमें 11वें BACSA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (CULTUSERI 2025) में भागीदारी भी शामिल है।

जॉर्जिया के बारे में (राजधानी: त्बिलिसी)

- जॉर्जिया एक ट्रांसकॉकसियाई देश है जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के संगम पर स्थित है, जिससे यह दोनों महाद्वीपों के बीच एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक सेतु बनता है।

- यह दक्षिण कॉकसस क्षेत्र में काला सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है, जिसकी सीमाएँ रूस, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और स्वयं काला सागर से लगती हैं।

- भौगोलिक रूप से, जॉर्जिया पर्वतीय भू-भाग से घिरा हुआ है, जिसमें उत्तर में ग्रेटर कॉकसस और दक्षिण में लेसर कॉकसस शामिल हैं।
- देश की जलवायु पश्चिमी क्षेत्रों में आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय से लेकर मध्य और पूर्वी भागों में शुष्क उपोष्णकटिबंधीय एवं अल्पाइन तक फैली हुई है।
- जॉर्जिया का एक-तिहाई से अधिक क्षेत्र वन भूमि से आच्छादित है, जो जैव विविधता से समृद्ध है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ओक, बीच, फर और अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं।

Source: TH

अनुच्छेद 240

समाचार में

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आगामी शीतकालीन सत्र में कोई भी संवैधानिक संशोधन विधेयक चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अंतर्गत नहीं लाएगा।

संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2025

- यह प्रस्ताव करता है कि चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लाया जाए, जिससे उसे उन केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समूहित किया जा सके जिनके पास विधानमंडल नहीं है, और इस प्रकार राष्ट्रपति को इसके लिए विनियम बनाने का अधिकार मिल सके।
- इससे चंडीगढ़ केंद्रशासित प्रदेश में एक स्वतंत्र प्रशासक का मार्ग प्रशस्त होगा।
  - वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के प्रशासक हैं।
- इस कदम का उद्देश्य चंडीगढ़ के लिए केंद्र सरकार की कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- इसका लक्ष्य उन केंद्रशासित प्रदेशों में शासन की एकरूपता सुनिश्चित करना है जिनके पास विधानमंडल नहीं है।
- यह राष्ट्रपति को चंडीगढ़ के लिए ऐसे विनियम बनाने का अधिकार देना चाहता है जो संसद के अधिनियमों के बराबर हों।

विरोध और चिंताएँ

- संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 ने पंजाब में तीव्र विरोध उत्पन्न किया है।
- राजनीतिक दलों का तर्क है कि यह चंडीगढ़ पर पंजाब के दावे को कमजोर करता है, जिसका एक विशिष्ट दर्जा है क्योंकि यह 1966 पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है।
- आलोचकों को आशंका है कि इससे एक स्वतंत्र प्रशासक का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, जिससे चंडीगढ़ की देखरेख करने की पंजाब के राज्यपाल की परंपरा समाप्त हो जाएगी।

संविधान का अनुच्छेद 240

- यह राष्ट्रपति को कुछ केंद्रशासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और प्रभावी शासन के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है, जिनमें अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, तथा दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव शामिल हैं।

Source :TH

भारतीय भोजन में ऑरामाइन

समाचार में

- भारत खाद्य पदार्थों में रासायनिक मिलावट की बार-बार होने वाली घटनाओं का सामना कर रहा है, विशेषकर ऑरामाइन O जैसे गैर-अनुमोदित कृत्रिम रंगों के उपयोग के माध्यम से।

परिचय

- ऑरामाइन O एक कृत्रिम, गंधहीन पीला रंग है जिसका व्यापक उपयोग उद्योगों में होता है, जिनमें वस्त्र और चमड़ा प्रसंस्करण, मुद्रण स्याही, कागज़ निर्माण एवं कुछ सूक्ष्मजीवविज्ञानिक धब्बा प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- ऑरामाइन O को भारत, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका या अधिकांश अन्य नियामक क्षेत्रों में खाद्य रंग के रूप में उपयोग की अनुमति नहीं है।
  - अन्य रंग जैसे मेटानिल येलो, रोडामाइन बी और मैलाकाइट हरी भी कुछ मिठाइयों के नमूनों में पाए गए हैं, जिन्हें भी अनुमति नहीं है।
- इसके कई स्वास्थ्य जोखिम हैं, जिनमें यकृत और गुर्दे की क्षति, प्लीहा का बढ़ना, म्यूटजेनिक प्रभाव (जो आनुवंशिक सामग्री को बदल सकते हैं), और संभावित कार्सिनजेनिक परिणाम शामिल हैं।

Source: TH

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)

समाचार में

- गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने अपनी समन और नोटिसों के दुरुपयोग तथा प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने के लिए नए तकनीकी और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू किए हैं।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO)

- कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के अंतगर्त स्थापित, SFIO कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसे नियमित कंपनी कानून उल्लंघनों के बजाय व्हाइट-कॉलर अपराधों की जांच के लिए एक विशेषीकृत निकाय के रूप में बनाया गया है।
- यह लेखा, फॉरेंसिक ऑडिट, बैंकिंग, विधि, आईटी, पूंजी बाजार, कराधान और कंपनी कानून के विशेषज्ञों को एक साथ लाता है ताकि गंभीर एवं जटिल कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामलों को संभाला जा सके।
- यह अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत जटिल कॉरपोरेट धोखाधड़ी की जांच करता है, जबकि जांच के दौरान जारी किए गए समन धारा 217 द्वारा शासित होते हैं।
- इसका नेतृत्व एक निदेशक करता है, जिसका पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव से कम नहीं होता।

Source: ET

मॉस/काई (फिस्कोमिट्रियम पैटेंस) की असाधारण तन्यकता

संदर्भ

- हाल ही में एक अध्ययन से पता चला कि मॉस /काई (Moss) के बीजाणु, जो नौ महीने तक बाह्य अंतरिक्ष में रहे, जीवित रहे और पृथ्वी पर वापस लाए जाने के बाद भी अपनी प्रजनन क्षमता बनाए रखी।
  - टीम ने क्लोरोफिल स्तर — जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है — को मापा और पाया कि क्लोरोफिल में केवल 20% की कमी हुई।

मॉस /काई (Mosses) के बारे में

- काई गैर-वाहिकीय पौधे हैं, जिन्होंने पृथ्वी के सबसे कठोर वातावरणों — आर्कटिक टुंड्रा, रेगिस्तान और उच्च-ऊँचाई वाले क्षेत्रों — में जीवित रहने के लिए विकास किया है।
- इनके बीजाणु विशेष रूप से कठोर होते हैं, जो सूखने (Desiccation), अल्ट्रावायलेट विकिरण और तापमान की चरम सीमाओं को सहन करने में सक्षम होते हैं।
- काई बाह्य अंतरिक्षीय वातावरणों में ऑक्सीजन उत्पादन, नमी नियंत्रण और मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - ये विशेषताएँ संभवतः अंतरिक्ष में इनके जीवित रहने में सहायक रहीं।

हालिया अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है?

- **खगोलजीवविज्ञान और जीवन की खोज:** अंतरिक्ष में जीवित रहने की क्षमता पैनस्पर्मिया सिद्धांत का समर्थन करती है — यह विचार कि जीवन उल्कापिंडों या अन्य खगोलीय पिंडों के माध्यम से ग्रहों के बीच यात्रा कर सकता है।
  - यदि काई अंतरिक्ष में जीवित रह सकती है, तो यह संभावना बढ़ जाती है कि सूक्ष्मजीव जीवन कहीं और ब्रह्मांड में उपस्थित हो सकता है या रहा हो।

- **अंतरिक्ष कृषि और स्थिरता:** काई सबसे प्रारंभिक स्थलीय पौधों में से एक है और पृथ्वी पर चरम वातावरणों में पनपने के लिए जानी जाती है।
  - इसकी अंतरिक्ष में दृढ़ता यह संकेत देती है कि यह अंतरिक्ष-आधारित कृषि के लिए एक व्यवहार्य उम्मीदवार हो सकती है।
- **जैविक ढाल और टेराफॉर्मिंग:** काई का उपयोग विकिरण के विरुद्ध जैविक ढाल बनाने या बंद-लूप जीवन समर्थन प्रणालियों में ऑक्सीजन उत्पन्न करने और जल को पुनर्चक्रित करने में किया जा सकता है।
  - इसकी निर्जन वातावरणों को उपनिवेशित करने की क्षमता इसे अन्य ग्रहों पर टेराफॉर्मिंग प्रयासों के लिए एक उम्मीदवार बनाती है।

Source: IE

भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (भारत NCAP)

समाचार में

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP 2.0) का संशोधित मसौदा जारी किया है।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी

- भारत NCAP 2.0 के अंतर्गत वाहनों की समग्र रेटिंग पाँच मूल्यांकन क्षेत्रों पर आधारित होगी:
  - सुरक्षित ड्राइविंग (10%)
  - दुर्घटना से बचाव (10%)
  - क्रैश सुरक्षा (55%)
  - संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता सुरक्षा (20%)
  - दुर्घटना के बाद सुरक्षा (5%)

भारत NCAP

- भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) वाहनों को क्रैश परीक्षण और मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर सुरक्षा रेटिंग प्रदान करता है।
- यह कार्यक्रम प्रथम बार अक्टूबर 2023 में लागू किया गया था, जिसमें वाहन निर्माताओं या आयातकों के लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS)-197 के अनुसार अपने वाहनों का परीक्षण कराने की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।
- यह कार्यक्रम स्वैच्छिक प्रकृति का है।
- पुणे स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट (CIRT) को भारत NCAP रेटिंग जारी करने के लिए नामित एजेंसी बनाया गया है।

Source: IE

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)

संदर्भ

- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (ITBP) वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर 10 संपूर्ण महिला सीमा चौकियाँ स्थापित कर रहा है, जो सीमा सुरक्षा में लैंगिक समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ITBP के बारे में

- **स्थापना:** 24 अक्टूबर 1962, भारत-चीन युद्ध के बाद।
- **स्थिति:** गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल।
- **मोटो:** "शौर्य- दृढ़ता- कर्मनिष्ठा"
- **संचालन भूमिकाएँ:**
  - 3,488 किमी लंबी भारत-चीन सीमा की रक्षा करना, जो काराकोरम दर्रा (लद्दाख) से लेकर जाचेप ला (अरुणाचल प्रदेश) तक फैली है।
  - काउंटर-इंसर्जेंसी ऑपरेशन्स (जैसे छत्तीसगढ़ में)।
- **कानूनी ढाँचा:**
  - 1992 में ITBPF अधिनियम लागू किया गया।
  - 2004 में संपूर्ण भारत-चीन सीमा की सुरक्षा जिम्मेदारी ITBP को सौंपी गई।

Source: TH

अफ्रीकी ग्रे तोता

समाचार में

- राज्य के वन विभागों के अनुसार, भारत में अफ्रीकी ग्रे तोतों के लिए कोई आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड ब्रीडर या अधिकृत पेट शॉप नहीं हैं, जबकि बाज़ारों में ये आसानी से मिल जाते हैं।

अफ्रीकी ग्रे तोता

- अफ्रीकी ग्रे तोता (सिटाकस एरिथेकस) मध्यम आकार का, अत्यधिक बुद्धिमान तोता है जिसे पक्षी प्रजातियों में सबसे अच्छा अनुकरणकर्ता माना जाता है। इसे प्रायः "पक्षी जगत का आइंस्टीन" कहा जाता है।
- यह पश्चिम और मध्य अफ्रीका का मूल निवासी है, और सवाना, तटीय मैंग्रोव, वन किनारे और वन की खुली जगहों में पाया जाता है।
- इसके दो प्रमुख उपप्रजातियाँ हैं:
  - कांगो अफ्रीकी ग्रे (CAG) — जिसकी चमकीली लाल पूंछ होती है।
  - टिमनेह अफ्रीकी ग्रे (TAG) — जिसकी गहरी मैरून रंग की पूंछ होती है।
- अफ्रीकी ग्रे तोते अपनी असाधारण बोलने और समझने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बड़े शब्दकोश और संदर्भात्मक भाषण करने में सक्षम होते हैं।
- यह प्रजाति IUCN द्वारा संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत है, मुख्यतः आवास हानि और अंतर्राष्ट्रीय पालतू व्यापार में भारी पकड़ के कारण।

जनसंख्या संबंधी खतरे

- भारत के घरेलू बाज़ार में अफ्रीकी ग्रे तोतों का व्यापक अवैध और अपंजीकृत व्यापार होता है, क्योंकि उचित रजिस्ट्रियों एवं प्रजनक प्राधिकरण की कमी है। तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक जैसे राज्य प्रमुख व्यापार केंद्र हैं।

Source :TH